भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1541

दिनांक 29.07.2025 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ करने संबंधी योजनाएं

1541. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश में पंचायती राज के सशक्तिकरण के लिए कोई नई योजना शुरू करने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) पंचायत राज्य का विषय है और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक के रूप में उनकी सहायता करता है, जिसमें निरंतर आधार पर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सुदृढ़ीकरण और कुशल कामकाज संबंधी योजनाओं के तहत निधि सहायता भी शामिल है।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना** को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और उनके पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण देकर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सक्षम बनाना है ताकि वे नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए उनकी शासन क्षमताओं को विकसित कर सकें, ग्राम पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बना सकें और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को जमीनी स्तर पर स्थानीयकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकें। इसके तहत ग्राम पंचायत भवन और कम्प्यूटरीकरण जैसी अवसंरचनात्मक सहायता भी प्रदान की जाती है।

पंचायतों को प्रोत्साहन (आईओपी) योजना और ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना (एमएमपी-ईपंचायत) जो आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक हैं, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। आईओपी योजना के तहत, सेवा प्रदायगी और लोक कल्याण में सुधार लाने हेतु श्रेष्ठ कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन करने वाली पंचायतों को प्रतिवर्ष आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन सहित पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। एमएमपी-ई-पंचायत योजना के अंतर्गत, पंचायतों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने, पीआरआई के कामकाज में कार्यकुशलता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने और उनके समग्र परिवर्तन में योगदान देने के लिए विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोई धनराशि प्रदान नहीं की जाती है।

ये योजनाएँ देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जाती हैं।

(ख) एवं (ग) जी, नहीं।

***